नगर विकास एवं आवास विभाग

पत्रांक–319 रॉंची, दिनांक–28/01/21

झारखंड भू–संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण के एक सदस्य (तकनीकी) के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना।

एतद् द्वारा भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 में निहित प्रावधानों के आलोक में झारखंड भू–संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण के एक सदस्य (तकनीकी) के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु भारतीय अहर्त्ताधारियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

2. पूर्व में विभिन्न तिथियों में प्रकाशित विज्ञापनों के विरूद्ध जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन समर्पित किया गया है उन्हें पुनः इस विज्ञापन के आलोक में आवेदन समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है।

3. नियुक्ति से संबंधित आवेदन, विस्तृत विज्ञापन में वर्णित प्रपत्र में वांछित सूचनाओं तथा तत्संबंधी घोषणा के साथ **दिनांक–01.03.2021 को अपराह्न 04:00** बजे तक निम्नांकित पते पर निबंधित डाक से, स्वहस्तलिखित अथवा टंकित रूप में समर्पित किया जा सकता है।

आवेदन प्राप्ति की निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदन प्राप्ति का पता– **सचिव,**
नगर विकास एवं आवास विभाग का कोषांग,
कमरा संख्या–413, चतुर्थ तल, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रॉंची, झारखंड
पिन कोड–834004

उक्त पदों पर नियुक्ति से संबंधित विस्तृत विज्ञापन (विज्ञापन सं०–318, दिनांक–28/01/21) विभागीय वेबसाईट–www.udhd.jharkhand.gov.in एवं झारखंड भू–संपदा नियामक प्राधिकार के वेबसाईट–www.jharera.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध है।

(चंदन कुमार)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः–319, रांची, दिनांक–28/01/21

प्रतिलिपिः–निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आमंत्रण सूचना–सह–विज्ञापन राज्य में प्रकाशित होने वाले प्रमुख हिन्दी एवं अंग्रजी समाचार पत्रों के साथ देश के महानगरों में प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी के प्रमुख समाचार पत्रों में आमंत्रण सूचना–सह–विज्ञापन प्रकाशित कराने की कृपा की जाए।

2. निदेशित किया जाता है कि श्री कुणाल कुमार, आई०टी० विशेषज्ञ, नगर विकास एवं आवास विभाग को संक्षिप्त प्रेस विज्ञप्ति सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, झारखंड, रॉंची को सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु उपलब्ध कराने एवं विस्तृत विज्ञापन तथा संक्षिप्त प्रेस विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

सरकार के उप सचिव।

नगर विकास एवं आवास विभाग

विज्ञापन संख्या–318 राँची, दिनांक–28/01/21

झारखंड भू–संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण के एक सदस्य (तकनीकी) के रिक्त के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना।

केन्द्र सरकार द्वारा भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 अधिसूचित किया गया है, जिसके आलोक में झारखंड भू–संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है। इस न्यायाधिकरण द्वारा शीघ्र विवाद निवारण हेतु न्यायिक तंत्र विकसित किया गया है जो भू–संपदा नियामक प्राधिकार एवं निर्णयन पदाधिकारी के द्वारा पारित निर्देश/आदेश के विरूद्ध दायर अपील की सुनवाई कर सकेगा।

2. उपरोक्त के क्रम में झारखंड भू–संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण के एक सदस्य (तकनीकी) के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु निम्नांकित अहर्त्ता एवं अनुभव प्राप्त व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं–

Sl.	Name of Post	No. of Post	Eligibility/Qualification
1	Member (Technical)	01	A person who is well-versed in the field of Urban Development, Housing, Real Estate Development, Infrastructure, Economics, Planning, Law, Commerce, Accountancy, Industry Management, Public Affairs or Administration and possesses experience of a least 20 year in the field or who has held the post in Central Government, or State Government equivalent to the post of Additional Secretary to the Government of India or an equivalent post in the Central Government or an equivalent post in the State Government.

3. सदस्यों की नियुक्ति 05 वर्ष अथवा 65 वर्ष तक की आयु, जो पहले होगा, के लिए होगी तथा पुनर्नियुक्ति अनुमान्य नहीं होगी।

4. भू–संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य के वेतन, अन्य अनुमान्य भत्ते एवं सेवा शर्त्तें भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 एवं झारखंड भू–संपदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 यथा संशोधित के प्रावधानों के अनुरूप होगी।

5. झारखंड भू–संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण के एक सदस्य (तकनीकी) के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु सूचनाएं समर्पित करने के लिए विहित प्रपत्र निम्नवत् प्रकार से निर्धारित किया गया है।

नाम	पदनाम	जन्मतिथि	सेवा में प्रथम योगदान की तिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि	वेतनमान	वर्त्तमान वेतन	प्राप्त पेंशन की राशि	संस्थान, जहाँ पूर्व में कार्यरत रहे हैं	अनुभव
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x

28/1/21

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में अंकित सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है। मेरे विरूद्ध कोई फौजदारी अथवा निगरानी का मामला अथवा विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है। मुझे ऐसी कोई वित्तीय अथवा अन्य रूचि नहीं है जो न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में मेरे कार्यों/दायित्वों के निष्पादन में हानिकारक/बाधक हो। अन्यथा पाये जाने पर मेरा आवेदन रद्द किया जा सकेगा। मैं झारखंड भू–संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण के कुशल संचालन हेतु भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 एवं झारखंड भू–संपदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 यथा संशोधित के विभिन्न धाराओं के अधीन वर्णित शर्त्तों का पालन करूँगा।

स्थानः–.........................

दिनांक–.........................

हस्ताक्षर

भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 एवं झारखंड भू–संपदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 यथा संशोधित विभागीय वेबसाईट–www.udhd.jharkhand.gov.in एवं झारखंड भू–संपदा नियामक प्राधिकार, राँची के वेबसाईट–www.jharera.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध है।

(चंदन कुमार)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–318 राँची, दिनांक–28/01/21

प्रतिलिपिः–निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आमंत्रण सूचना–सह–विज्ञापन राज्य में प्रकाशित होने वाले प्रमुख हिन्दी एवं अंग्रजी समाचार पत्रों के साथ देश के महानगरों में प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी के प्रमुख समाचार पत्रों में आमंत्रण सूचना–सह–विज्ञापन प्रकाशित कराने की कृपा की जाए।

2. निदेशित किया जाता है कि श्री कुणाल कुमार, आई०टी० विशेषज्ञ, नगर विकास एवं आवास विभाग को संक्षिप्त प्रेस विज्ञप्ति सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, झारखंड, राँची को सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु उपलब्ध कराने एवं विस्तृत विज्ञापन तथा संक्षिप्त प्रेस विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

सरकार के उप सचिव